



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 378 (दोषपूर्ण) संख्या - 30 वर्ष 2026

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) लखनऊ

.....आवेदक(गण)

बनाम

रवि चौहान और 6 अन्य

.....विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या-14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. राज्य-अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। श्रीमती शिखा सिन्हा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह दायित्वक अपील राज्य द्वारा अपील करने की अनुमति मांगने वाले एक आवेदन और अपील दाखिल करने की तारीख तक सौ दिनों से अधिक के विलम्ब को क्षमा करने वाले एक आवेदन के साथ दाखिल की गई है। यह अपील दिनांक 04.08.2025 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पाँकसो अधिनियम), जिला बलरामपुर द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 83 वर्ष 2019 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है। यह प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 140 वर्ष 2019 से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 354-बी, 323, 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के तहत पुलिस थाना कोतवाली देहात, जिला बलरामपुर में दर्ज किया गया था।
3. 20.05.2019 को पंजीकृत की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने बताया है कि अभियुक्त 14.05.2019 को उसके घर में घुस आया था और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, साथ ही उसने शिकायतकर्ता की माँ पर हमला किया, जिससे उनके पैर में फ्रेक्चर /अस्थि भंग हो गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र 15 वर्ष बताई गई थी। अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान पीड़िता ने अपनी उम्र नहीं बताई और 09.12.2022 को न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही के दौरान उसने अपनी उम्र 20 वर्ष बताई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. पीड़िता अशिक्षित है, और उसकी ओसिफिकेशन टेस्ट/अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी आयु 17 वर्ष बताई गई है, साथ ही चिकित्सक ने यह भी कहा है कि इसमें दोनों तरफ दो वर्ष तक की त्रुटि की गुंजाइश हो सकती है।

5. प्रकरण के उपर्युक्त पक्ष की जाँच करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा कि घटना की तारीख को पीड़िता अवयस्क थी।

6. इस घटना के संबंध में माननीय विचारण न्यायालय ने पीड़िता के उस बयान का उल्लेख किया है जिसे न्यायालय ने स्वयं अभिलिखित किया था। इस बयान में पीड़िता ने बताया है कि यह घटना लगभग 3 से 3.5 वर्ष पूर्व गर्मियों के महीनों में हुई थी। उस समय वह अपने घर के अंदर अपनी दादी के साथ लेटी हुई थी जिनको सुनाई नहीं देता है तभी अभियुक्त बरामदे में उसके पास आ गया, उसे आवाज देने लगा और उसे 200 रुपये देने की पेशकश की। जब पीड़िता ने पैसे नहीं लिए, तो अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके पश्चात पीड़िता घर के अंदर चली गई और अभियुक्त वहां से भाग गया,

7. विचारण न्यायालय ने पीड़िता के उस बयान का उल्लेख किया है जो उसने अपनी जिरह/प्रति परीक्षा के दौरान दिया था, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया था कि उसके पिता का बड़ा भाई पुलिस थाने में चौकीदार के रूप में कार्य करता है। क्योंकि वह पुलिस थाने में चौकीदार है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। पीड़िता ने इस बात को माना कि उसके पिता का बड़ा भाई उस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में अभियोग पंजीकृत करवा देता है, जो उससे दुश्मनी रखता है। उसने कहा कि अभियुक्त और उसके पिता के बड़े भाई के मध्य कोई विवाद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हुआ था, और उसके पश्चात उसके पिता के बड़े भाई ने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवा दिया। पीड़िता ने यह भी माना कि अभियुक्त उसके घर में दाखिल नहीं हुआ था, और उसने अपने परिवार वालों के कहने पर ही यह आरोप लगाया था। उसने यह भी माना कि उसके घर के अंदर उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी।

8. पीड़ित के पिता ने बताया कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की पुत्री के साथ छेड़छाड़ प्रारंभ कर दी। शोर सुनकर उसकी माँ जाग गई और अभियुक्त को डांटने लगी। इसके पश्चात अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की माँ पर लाठी से हमला किया, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर/अस्थि भंग हो गया। जिरह/प्रति परीक्षा के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसने एक अधिवक्ता से शिकायत लिखवाई है, उसकी पुत्री मंद बुद्धि है, उसकी माँ की उम्र लगभग 80 वर्ष है, उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है और उनकी दृष्टि कमजोर है। शिकायतकर्ता की माँ को फ्रैक्चर/अस्थि भंग होने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि चिकित्सक ने बताया कि चोट सामान्य और पुरानी थी। चिकित्सक ने बताया कि चोट गिरने से भी लग सकती थी। एक्स-रे जाँच से फ्रैक्चर/अस्थि भंग होने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

9. उपर्युक्त तथ्यों की जाँच करने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में असमर्थ रहा, और उसने अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

10. उपर्युक्त निर्णय और आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए, श्रीमती शिखा सिन्हा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-1 ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़िता की बुद्धि का स्तर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कम है, अतः उसके बयान की जाँच करते समय न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल उसके बयान में कुछ विसंगतियों के आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

11. यद्यपि यह सत्य है कि किसी अभियुक्त को केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कुछ विसंगतियों के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण बिना किसी संदेह के सिद्ध करना होता है। पीड़िता ने अपनी जिरह के दौरान घटना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसकी माँ बधिर है, जबकि अपने बयान में उसने कहा कि उसे कम दिखाई देता है और यहाँ उसने यह नहीं कहा कि वह बधिर है। बयान में शिकायतकर्ता ने कथन किया कि घटना के समय शोर सुनकर उसकी माँ उठ गई और उसने अभियुक्त को डाँटा। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की माँ पर हमला किया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर/अस्थिभंग हो गया, परन्तु यह आरोप भी सिद्ध नहीं हो सका।

12. विचारण न्यायालय का निर्णय सम्पूर्ण अभियोजन सामग्री के उचित और गहन सूक्ष्म-पड़ताल के पश्चात दिया गया है, और इस निर्णय को ऐसा दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता जिसके आधार पर इसके विरुद्ध अपील दाखिल करने की अनुमति दी जाए। अतः अनुमति हेतु दिया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. चूँकि इस न्यायालय ने राज्य को अपील दाखिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, इसलिए अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के आवेदन पर नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. चूँकि राज्य द्वारा अपील की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, अतः अपील को अभिलेखों में संधारित किया जाए।

24 मार्च 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।